प्रेस नोट कोतवाली हसनपुर

दिनांक 26.11.2022

<u>*कोतवाली हसनपुर पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत हत्या के मुकदमे का वान्छित अभियुक्त</u> गिरफ्तार<u>*</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लाग्हे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री राजीव कुमार अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर श्री अभिषेक यादव के निकट पर्यवेक्षण में दिनाँक 26.11.2022 को थाना हसनपुर पुलिस द्वारा दिनांक 23/24.11.2022 को व्यापारी राजेन्द्र ठाकुर की हत्या के मुख्य आरोपी के सहअभियुक्त/भाई फारूख पुत्र महफूज नि0 मौ0 कायस्थान चामुण्डा रोड कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। हत्या के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0स0 651/22 धारा 302/120बी भादवि पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त के विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुछताछ व अग्रिम विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त सुहैल पुत्र सद्दन निवासी राजपुर कॉलोनी कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा प्रकाश में आया है जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है।



*गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. फारूख पुत्र महफूज नि० मौ० कायस्थान चामुण्डा रोड कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

'प्रकाश में आया अभियुक्त'

1. सुहैल पुत्र सद्दन निवासी राजपुर कॉलोनी करूबा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. श्री विकास कुमार उपनिरीक्षक थाना हसनपुर जनपद अमरोहा
- 2. का० 1294 तरूण तालान थाना हसनपुर जनपद अमरोहा
- 3. का० ३५० अंकित मलिक थाना हसनपुर जनपद अमरोहा